न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 01/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
भोमसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह निवासी साबूसिंह का बेरा, ग्राम देवराजगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम 2016, विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर क्रमांकः न्यायिक/शस्त्र/2021/795–97 दिनांक 16.7.21 द्वारा प्रार्थी के पिता को जारी शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन का अनुज्ञापत्र अपने नाम हस्तांतरण का आवेदन खारिज करने बाबत।

उपस्थिति–
1. श्री राजीव शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.01.2023

1. प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपने पिता श्री नाथूसिंह की मृत्यु के उपरांत उनके नाम जिला मजिस्ट्रेट धोलपुर द्वारा जारी शस्त्र 12 एसबीबीएल गन का अनुज्ञापत्र क्रमांक 21/79, जो जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा दिनांक 31.12.2020 को नवीनीकृत किया हुआ था, अपने नाम हस्तांतरण हेतु मृत्तक उत्तराधिकार अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष नया शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांकः न्यायिक/शस्त्र/2021/795–97 दिनांक 16.7.21 के द्वारा खारीज कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.2020 को प्रत्यर्थी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में मृतक उत्तराधिकार अन्तर्गत अपने पिता के नाम जारी शस्त्र 12 एसबीबीएल गन का नवीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में शपथ पूर्वक बयान किया कि उसके विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय या पुलिस थाना में किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज अथवा विचाराधीन नही है तथा धारा 107 में कोई प्रकरण लंबित नही है और वह किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता नही है। आवेदन के संलग्न समस्त औपचारिक दस्तावेज यथा शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री नाथुसिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र, आवेदक का परिवार राशन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण व आग्नेय शस्त्र संचालन की दक्षता संबंधी प्रमाण–पत्र व जमाबंदी खुदकाश्त/खातेदार इत्यादि प्रस्तुत किए गये।

4. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रार्थी के चरित्र एवं हथियार की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, एटीएस जयपुर से जांच रिपोर्ट चाही गई। प्राप्त रिपोर्ट्स में प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही पायी गई। इसके बावजूद प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर खारीज कर दिया गया कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट क्रमांक 4144 दिनांक 15.12.2020 के संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ की पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 13 (वस्तुतः बिन्दु सं0 15) के अनुसार आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड नही कराई है एवं रिपोर्ट अथवा आवेदन में आवेदक की जान को गंभीर खतरे के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज/प्रर्याप्त आधार प्रस्तुत नही किए गये है।

5. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर गौर किये बिना व उसमें उल्लेखित तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किए बिना व बिना किसी उचित कारण के विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो अपास्त योग्य है। जबकि प्रार्थी ने उक्त हथियार अपने पिता की निशानी व धरोहर के तौर पर तथा अपने

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करने हेतु मृत्तक उत्तराधिकार के रूप में आवेदन किया गया था। जिसमें कोरोना काल के चलते सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर नही दिया गया। अतः उक्त आदेश आर्म्स एक्ट एवं आर्म्स रूल्स के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

6. राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि प्रकरण में श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है, तथापि प्रकट तथ्यों के अनुसार विधि अनुकूल निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

7. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रेषित विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन ''मृत्तक उत्तराधिकार'' के तहत किया गया था। जिसका उल्लेख आवेदन के बिन्दु सं0 15 व 18 में उसके द्वारा किया हुआ है। यद्यपि इन बिन्दुओं में आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यता/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो, उसका उल्लेख **'मृत्तक उत्तराधिकार'** के अतिरिक्त कुछ भी नही किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नही कहा जा सकता है। इसके अलावा उक्त आदेश आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 01.4.21 के उपरांत पारित किया गया है, अतः अपीलांट का यह कथन कि कोरोनो कॉल में उसे सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर नही दिया गया यह भी मानने योग्य नही है। तथापि अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील में प्रकट किए गये तथ्य कि ''उक्त हथियार वह अपने पिता की निशानी व धरोहर के तौर पर तथा अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करने हेतु मृत्तक उत्तराधिकार के रूप में नवीन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसकी जांच एवं सत्यापन में संबंधित विभागों द्वारा उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही की गई है'' के दृष्टिगत

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर सत्यमेव जयते

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट–आवेदक द्वारा प्रकट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर, आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के तहत सहानुभूति पूर्वक विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30/1/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर